किशनगढ़ (2)

APP-A
Crim-1

FORM NO III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

आंशिक स्वीकार
रिमाण्ड
31/10/2018

अज अदालत राजस्व अपील प्राधिकारी मुकाम अजमेर

श्रीमती कमला देवी धर्मपत्नी स्व. श्री रतन लाल जाति माली बनाम राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार किशनगढ़ जिला अजमेर व अन्य

किस्म मुकदमा 225 R.T.A नम्बर 329 सन् 2018 (किशनगढ़ मदनगंज (किशनगढ़))

तारीख पेशी	हुक्म या कार्यवाही मय हस्ताक्षर 2018/00329 श्री मौहम्मद इकबाल एड. श्री	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील मे जारी हुए
31-10-2018	यह अपील श्री मौहम्मद इकबाल एड़वोकेट ने विद्वान उपखण्ड अधिकारी, किशनगढ़ के आदेश दिनांक 16.10.2018, प्रकरण संख्या 316/2018 के विरूद्ध अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत् पेश की गई। अपील बाद जॉच रिपोर्ट होकर पेश की गई। अपील दर्ज रजिस्टर की जावें। अपील के साथ प्रार्थना पत्र स्थगन पेश किया गया, जिस पर अभिभाषक अपीलांट की एक पक्षीय बहस सुनी गई। अभिभाषक अपीलांट ने दौराने बहस प्रार्थना पत्र निवेदन किया कि वादग्रस्त आराजीयात ग्राम मदनगंज–किशनगढ में स्थित हैं जो अपीलांट के पिता रामदेव पुत्र मोती जाति माली के कब्जेकाश्त की आराजीयात थी जो सम्वत 2012 से अपीलांट के पिता रामदेव के नाम से चली आ रही थी। आराजी खसरा नम्बर 143 रकबा 3 बीघा 9 बिस्वा पर अपीलांट का कब्जा स्टेट के समय से चला आ रहा हैं जिसकी खातेदारी अधिकार प्राप्त करने के लिए वाद प्रस्तुत किया गया परन्तु वाद विचाराधीन रहने के दौराने उपरोक्त आरजीयात रेस्पोडेन्ट संख्या 02 के नाम दर्ज हो गई जिसे दौराने वाद पक्षकार बनाया गया। उपरोक्त आराजीयात पर रेस्पोडेन्ट संख्या 01, 02 के द्वारा वादी/अपीलांट के कब्जे काश्त में दखल किये जाने पर वाद कारण उत्पन्न हुआ और वाद प्रस्तुत किया गया तथा साथ ही प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राज.काश्तकारी अधिनियम पेश कर कथन किया कि वादग्रस्त आराजी के राजस्व रेकार्ड व मौके की यथास्थिति बनायी रखी जाने के आदेश प्रदान किये जावें। अधीनस्थ न्यायालय ने दिनांक 16.10.2018 को अपीलांट की सुनवाई कर प्रार्थना पत्र को अस्वीकार कर दिया, जिससे असंतुष्ट होकर अपीलांट ने यह अपील न्यायालय हाजा के समक्ष प्रस्तुत की हैं। अभिभाषक अपीलांट ने आगे बहस में कथन किया कि अपीलांट द्वारा नियमित राजस्व वाद पूर्व से ही प्रस्तुत कर रखा था जिसके विचाराधीन रहते दौराने रेस्पोडेन्ट द्वारा अपीलाधीन आराजीयात से अपीलांट को बेदखल करने की चेष्टा किये जाने से प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने का कारण	नि.क.३

राजस्व अपील प्राधिकारी
अजमेर

किशनगढ़ 329/2018/225

श्रीमति कमला देवी व अन्य बनाम राज्य सरकार व अन्य

तारीख पेशी	हुक्म या कार्यवाही मय हस्ताक्षर	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील मे जारी हुए
	2018/00329 श्री मोहम्मद इकबाल, एस०डी०ओ०	
निरन्तर:—	उत्पन्न हुआ। चूँकि राजस्व वाद विचाराधीन था तो ऐसी परिस्थितियों में अधीनस्थ न्यायालय को राजस्व रेकार्ड एवं मौके की यथास्थिति बनाये रखने का आदेश प्रदान करना चाहिए था किन्तु अधीनस्थ न्यायालय ने प्रार्थना पत्र को अस्वीकार कर दिया जो विधि सम्मत नहीं हैं। न्यायालय हाजा से अनुरोध है कि प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर विवादित आराजी के राजस्व रेकार्ड व मौके की यथस्थिति बनायी रखी जाने के आदेश न्यायहित में प्रदान करावें। अभिभाषक अपीलांट ने अपने पक्ष में आर.आर.टी. 2011(1)पेज 152 का न्यायिक दृष्टांत प्रस्तुत करते हुए कथन किया कि अत्यावश्यकता के मामले में एक पक्षीय अन्तरिम आदेश पारित किया जा सकता हैं— प्रस्तुत नजीर में प्रकरण को अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रतिप्रेषित कर 30 दिवस में निस्तारण के आदेश दिये हैं तथा तब तक अस्थायी निषेधाज्ञा जारी की हैं। अभिभाषक अपीलांट की एक पक्षीय बहस पर मनन किया गया एवं अधीनस्थ न्यायालय के आदेश की प्रति एवं प्रार्थना पत्र धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की प्रति व दस्तावेजात की प्रति का अवलोकन किया गया। बाद अवलोकन अभिभाषक अपीलांट के प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांत से हम सहमत हैं। अपील अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा अन्तरिम आदेश के विरूद्ध प्रस्तुत की है,जो पोषणीय नही हैं एवं प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राज.काश्तकारी अधिनियम का अंतिम निस्तारण तो अधीनस्थ न्यायालय को ही करना हैं। राजस्व मण्डल राज.अजमेर के आदेश दिनांक 14.07.2010, उनवानी हुकुमसिंह बनाम राज्य सरकार (आर.आर.टी. 2011(01) पेज 152) के न्यायिक दृष्टांत को मध्यनजर रखते हुए, हम न्यायालय व पक्षकारान के समय व आर्थिक व्ययता को ध्यान में रखते हुए, अपील का इसी स्तर पर निर्णय करना उचित समझते हैं। अपील आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर, प्रकरण विद्वान उपखण्ड अधिकारी, किशनगढ़ को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर.टी.एक्ट 1955 पर दोनो पक्षो को जवाब व सुनवाई का अवसर देते हुए, स्पष्ट एवं विधि सम्मत निर्णय दो माह में पारित करे, तब तक दोनों पक्ष विवादित आराजी खसरा नम्बर 143 रकबा 3 बीघा 09 बिस्वा वाकै ग्राम मदनगंज—किशनगढ़ तहसील किशनगढ़ की राजस्व रिकार्ड एवं मौके की यथास्थिति बनायी रखें जावें। अधी.न्यायालय द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर.टी.एक्ट का निस्तारण होने पर न्यायालय हाजा का आदेश स्वतः ही निरस्त समझा जावें। निर्णय की एक प्रति अधी.न्यायालय को प्रेषित की जावें। मिसल फैसलशुमार होकर नम्बर से कम हों। [signature] राजस्व अपील अधिकारी, अजमेर	